

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक :

567

प्रकरण दर्ज दिनांक

अनावेदक : श्री नवीन नागवानी

CGRERA-P-: SM-PRO-2019-00834

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

17/09/2019

अनावेदक-श्री नवीन नागवानी, गोल्डन ट्रेड सेंटर, पता-न्यू राजेन्द्र नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) द्वारा बल्क एस.एम.एस. के माध्यम से अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें संबंधित प्रोजेक्ट अथवा रियल एस्टेट एजेंट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर उल्लेखित नहीं है। उक्त विज्ञापन की प्रति प्रकरण में संलग्न है।

छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत धारा 3(1) के प्रावधानानुसार रेरा में पंजीयन किये बिना किसी भी भू-खण्ड, अपार्टमेंट या भवन आदि को किसी भी रीति में विज्ञापित, विपणित, बुक, विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा क्रय के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है।

अनावेदक को अधिनियम की धारा 3 (1) एवं धारा 11 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा प्रसारित विज्ञापन में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अथवा रियल एस्टेट एजेंट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर उल्लेख न करने के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे।

मा.दि.- 3 / 10 / 2019

Gover

(विवेक ढांड)

अध्यक्ष

3/10/19

- 1) case taken today. NA then shri sanjay agrawal accts
- 2) He has sought apology for having circulating SMSs without giving Rera registration no. Has promised not to repeat the mistake
- 3) case to be closed with a warning not to repeat such a thing, in future

Sanjay Agrawal
3/10/19



सदस्य
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़ रायपुर
3/10/19